राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर, झालावाड

जगमग हैल्पलाईन :– 07432–230645, 07432 –230646

फोन न. 07432–230403, फैक्स न. –230404
Email: dm-jha-rj@nic.in

क्रमांक:--प.1 / विजा / स्था0 / 2018 / 4108 दिनांक 29 / 08 / 2018

:– आदेश :–

श्री नंदकिशोर टेलर नायब तहसीलदार गंगधार कार्यवाहक तहसीलदार गंगधार को ज्ञापन क्रमाक 67 दिनांक 02.01.18 से राजस्थान सिविल सेवा(वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 17 सीसीए के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस जारी किया जाकर निम्न प्रकार आरोपित किया गया था।

आरोप संख्या 1. – यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 का अनु0 संख्या 4.10.2 की ठोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्राक 1214–19 दिनांक 01.10.03,1425–32 दि031.12.13,1593–1600 दिनांक 31.1.14,1863–73 दि003.6.14,2318–25 दिनांक 10.9.16,253–57 दि014.2.17,336–40 दि028.2.14,557–62 दि030.3.14 व अ0शा0पत्र क्रमाक 2815–22 दि029.12.14,154–161 दि013.2.15,557–84 दि0 23.4.15,969–75 दि008.7.15,179–186 दि009.2.16,318–322 दि017.3.16,351–55 दि0 12.4.16 व 1186–90 दि003.08.17 तथा कारण बताओ नोटिस 642–46 दि021.6.17 व अंतिम पत्र 1701–06 दि009.11.17 से लिखे जाने के उपरान्त समय पर ठोस ,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नही करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016–17 के 159 वे प्रतिवेदन के रूप मे शामिल किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

आरोप संख्या 2– यह कि आपको सी0ए.जी. प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अनु0 संख्या 4.7 की ठोस,पूर्ण एवं तथ्यात्मक पालना प्रस्तुत किये जाने हेतु इस कार्यालय के पत्राक 844–61 दि008.08.16,999–1015 दि030.8.16,289–96 दि020.2.17,599–603 दि010.4.17,933–36 दि005.6.17 अ0शा0पत्र क्रमाक 98–101 दि011.1.17,1038–41 दि028.6.17 ,1260–63 दि04.9.17,1450–53 दि0 22.9.17 तथा कारण बताओ नोटिस 1531–33 दिनांक 24.10.17 से से लिखे जाने के उपरान्त समय पर ठोस ,पूर्ण एवं तथ्यात्मक अनुपालना प्रेषित नही करने के कारण उक्त अनु0 जन लेखा समिति वर्ष 2016–17 के रूप मे शामिल किया गया । इस प्रकार आपके द्वारा राजकार्य मे लापरवाही बरती गई है, जिसके लिए आप को आरोपित किया जाता है।

उक्त आरोपो के क्रम मे श्री नंदकिशोर टेलर नायब तहसीलदार गंगधार कार्यवाहक तहसीलदार गंगधार ने लिखित जवाब निम्नानुसार प्रस्तुत किया :– 1–सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2012–13 का अनुच्छेद संख्या 4.10.2 की ठोस एवं तथ्यात्मक पालना मे अनुच्छेद मे वर्णित आक्षेप की पालना मे बकायादारो के खाते मे दर्ज भूमि जिसमे मोबाईल टावर स्थित है,को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगधार के कार्यालय से भूमि सिवायचक घोषित कराई जाकर भूमि को राजस्व रिकार्ड मे सिवाय चक दर्ज किये जाने की स्वीकृति दी जाकर नामान्तकरण दर्ज कराया जाकर पालना इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 215 दिनांक 02.11.17 से श्रीमान को प्रस्तुत कर दी गयी थी 2–सीएजी प्रतिवेदन वर्ष 2015–16 का अनुच्छेद संख्या 4.7 की पालना किये जाने हेतु ठोस एवं तथ्यात्मक कार्यवाही हेतु अनुच्छेद मे वर्णित भूमि पर स्थापित ईट–भटटो के मालिको को दिनांक 25.10.17 को ईट–भटटो की भूमि से बेदखल किया जाकर पालना रिपोर्ट श्रीमान को पत्राक 213 दिनांक 25.10.17 से भिजवाई जा चुकी है । इसी अनुच्छेद की पालना मे ईट भटटो के मालिको से अनुच्छेद मे वर्णित शास्ति राशि 437567 की वसूली की जाकर चालान संख्या 19701193 दिनांक 16.11.17 से रू0 91054 ,चालान संख्या 19702021 दि0 16.11.17 से रू0 204872,चालान संख्या 19975884 दि0 06.12.17 से 73348,चालान संख्या 19987585 दि0 06.12.17 से रू0 68293 ,इस प्रकार कुल राशि 437567 रू0 की वसूली की जाकर जमा राजकोष करायी जाकर पालना इस कार्यालय के त्राक 318 दिनांक 07.12.17 से भिजवाई गई ।

हमारे द्वारा श्री टेलर के द्वारा प्रस्तुत जवाब इत्यादि का अवलोकन किया गया, श्री नंदकिशोर टेलर नायब तहसीलदार गंगधार कार्यवाहक तहसीलदार गंगधार के प्रकरण मे सहानूभूतिपूर्वक विचार कर भविष्य मे कार्य विशेष सतर्कता एवं तत्परता से संपादित करने की हिदायत के साथ प्रकरण मे कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।

जिला कलक्टर
झालावाड